न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—453/2019/223 (2019/00453)

1. सलीम अली पुत्र अलाद्दीन अली,
2. नजीरअली पुत्र अजीज अली,
3. मुबारम अली पुत्र शहादत अली,
4. सन्नू खां पुत्र सैफदी खां,
5. गोरू खां पुत्र कालू खां,
6. यासिन खां पुत्र घासी खां,

समस्त जाति मुसलमान, निवासी ग्राम अलीपुरा, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. महबूब अली पुत्र जमाल अली,
2. नवाब अली पुत्र जमाल अली,
3. बशीर अली पुत्र जमाल अली,

समस्त जाति मुसलमान, निवासी ग्राम अलीपुरा, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन ।
5. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक, पीसांगन ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन दिनांक 27.9.2019 .

उपस्थितः—

1. श्री घनश्यामसिंह लखावत, वकील अपीलांटस ।
2. श्री पुष्पेन्द्रसिंह नरूका, वकील रेस्पो0 संख्या 2 व 3.
3. रेस्पो0 संख्या 1 अनुपस्थित ।
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 4 व 5.

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

निर्णय

दिनांकः— 3.9.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.9.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।

2. वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम अलीपुरा में सरकारी भूमि स्थित है, जिसमें गांव वालों के जानवर चरते है तथा गांव वालों के खलियान आदि के उपयोग में आती है, इस सरकारी जमीन पर सरकारी कुआं तथा खेली कोठा बने हुए है जिससे ग्रामीण पीने का पानी भरते है तथा जानवर भी पानी पीते है । उक्त सरकारी भूमि जमाबंदी फसली 1349 में सरकार के नाम कुल किता 5 खसरा नंबरान का कुल रकबा 8–10–00 बीघा भूमिं ग्राम अलीपुरा में दर्ज थी । वादीगण द्वारा जमाबंदी की नकले प्राप्त करने जानकारी हुई कि उक्त वादग्रस्त भूमि जो सरकारी है उसको प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने तथाकथित रूप से अपने नाम दर्ज करवा ली है जबकि कब्जा कभी भी प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नहीं रहा है । उक्त जमीन में जो कुआं है उसका खसरा संख्या 526 है जो चाह दर्ज है, जो गांवाई पनघट है, मौके पर समस्त गांव वालों का कब्जा है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर लादू अली पुत्र भूर अली दो हिस्सा, मु0 ऐमना बेवा बेली खां के 1 हिस्सा संवत् 2022 से 2025 में अंकन करवा लिया जबकि लादू अली व मु0 ऐमना नाऔलाद फौत हो चुके है तत्पश्चात् वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041 में जमाल अली पुत्र दीनअली के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी गई, जबकि मौके पर किसी भी प्रतिवादी का कब्जा काश्त नहीं है । अतः वाद वादीगण स्वीकार कर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ।

अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय़ है । अधी0न्याया0 ने यह निष्कर्ष अंकित करते हुए वाद निरस्त किया है कि वादी का उसमें खुद का सीधा हित नहीं होकर जनहित में यह वाद लाया गया है, इस कारण वाद को पोषणीय नहीं माना गया जबकि वादीगण ग्राम अलीपुरा के निवासी है तथा जहां तक जनहित का आशय है वहां पर समस्त ग्रामवासियान के हित होते है तथा वादीगण भी ग्रामवासी है । ऐसी स्थिति में वादीगण के जो हक, अधिकार एवं हित सार्वजनिक रूप से है, जिसकी दुरूस्ती हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है । अधी0न्याया0 को अभिलेख में कारित त्रुटि के बारे में विचार करना था परन्तु ऐसा नहीं कर तकनीकी आधारों पर वाद को निरस्त कर दिया जो कि आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रावधानों के अनुसरण में नहीं है । अधी0न्याया0 के समक्ष वाद वर्ष 2011 में प्रस्तुत किया गया था, वाद के लंबित रहते प्रकरण को तलबी के उपरांत जवाब दावा हेतु नियत किया गया तथा प्रतिवादी को जो भी आक्षेप अंकित करने थे, वह जवाबदावे में अंकित करने थे, तथा वाद बिन्दु कायम करने के उपरांत वाद का निस्तारण करना था परन्तु अधी.0न्याया0 ने ऐसा नहीं कर वाद को पाषेणीय होते हुए भी विधि बाधित मानकर खारिज कर दिया । जबकि वादपत्र में जो अनुतोष चाहा गया वह इंद्राज दुरूस्ती वादग्रस्त भूमि सार्वजनिक होने से संबंधित है तथा सार्वजनिक हित बाबत् वाद राजस्व न्यायालय में पोषणीय है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को वृहद रूप से समझे बिना तथा धारा 91 को नजरअंदाज करते हुए जो निर्णय पारित किया गया है वह किसी भी प्रकार से विधिसम्मत् नहीं है । इस कारण अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्तनीय है । बहस में आगे कथन किया कि राजस्व अभिलेखों से यह पूर्णतया साबित है कि भूमि पूर्व में राजकीय भूमि दर्ज थी, किसी विधिपूर्ण आदेश/निर्णय या कार्यवाही के अनुसरण में प्रत्यर्थीगण के नाम भूमि का अंकन नहीं हुआ है अपितु

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

त्रुटिपूर्ण अभिलेख के आधार पर प्रत्यर्थीगण का नाम अभिलेखों में अंकित हुआ है तथा ऐसी त्रुटिपूर्ण दुरूस्ती उपखण्ड अधिकारी के संज्ञान में आने के उपरांत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधि0 के प्रावधानों के तहत दुरूस्ती किये जाने का दायित्व अधी0न्याया0 का है परन्तु वांछित अनुतोष प्रदान की ओर अग्रसर होने के बजाय तकनीकी आधारों पर प्राथमिक रूप से अपीलांटस के वाद को निरस्त कर अधी0न्याया0 ने न्यायिक अधिकारों का दुरूपयोग कर वादीगण का वाद खारिज किया है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 2 व 3 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । वादग्रस्त आराजियात वर्तमान जमाबंदी के अनुसार रेस्पो0 संख्या 1 से 3 की पैतृक एवं संयुक्त खातेदारी तथा आधिपत्य की आराजियात है । अपीलांट एवं उनके पूर्वाधिकारियों का कभी भी रिकार्ड में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से इंद्राज नही रहा है इस कारण वादीगण व्यथित पक्षकार की श्रेणी में नहीं आते है जिससे उन्हें विवादित आराजियात बाबत् वाद प्रस्तुत करने का विधिक अधिकार नहीं है । वादीगण का वाद धारा 9 जा0दी0 एवं धारा 207 राज0काश्त0अधि0 के तहत क्षेत्राधिकार से वर्जित है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया जा सकता है । वादीगण द्वारा वर्तमान वाद में प्रथम दृष्टया ना तो अपना हक, अधिकार उल्लेखित किया है ना ही इस संबंध में कोई अनुतोष ही चाहा है । बहस में आगे कथन किया कि अपीलांटस ने जनहित में वाद पेश किया है जो राजस्थान काश्तकारी अधि0 के तहत पोषणीय नहीं है । विद्वान अधी0न्याया0 ने आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण का वाद खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांटस खारिज किया जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । <u>वादीगण/अपीलांटस</u> ने अधी0न्याया0 के समक्ष धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 1955 एवं धारा 136 राज0भू–राजस्व अधि0 1956 के तहत जनहित में वाद पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी ग्राम अलीपुरा की सरकारी भूमि है जिस पर समस्त गांव वालों के जानवर चरते है तथा उक्त भूमि पर एक सार्वजनिक कुआं तथा कोठा भी बना हुआ है जिससे ग्रामीण पीने का पानी भरते है किन्तु विवादित आराजियात प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा ली है । उक्त वाद प्रस्तुत होने पर <u>प्रतिवादीगण/रेस्पो0</u> ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश कर कथन किया कि <u>अपीलांटस/वादीगण</u> ने जनहित में वाद पेश किया है किन्तु कोई वादकारण अंकित नहीं किये है एव ना ही खातेदारी उद्घोषणा चाही है । इस कारण वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद राज0काश्त0अधि0 के प्रावधानों के तहत पोषणीय नहीं है । अतः वाद खारिज किया जावे । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 में लादू अली वल्द भूरअली 2 हिस्सा, ऐमना बेवा बेलीखां 1 हिस्सा कुल 3 हिस्सा मालिकान दर्ज है । हम विद्वान अधी0न्याया0 के इस निष्कर्ष से सहमत है कि वादीगण के विवादित आराजियात से सीधे हित न होकर एक जनहित के रूप में वाद पेश किया है जबकि सरकारी भूमि का रक्षक तहसीलदार है । <u>वादीगण/अपीलांटस</u> विवादित आराजियात में स्वंय के हित होना दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में असफल रहे है । विद्वान अधी0न्याया0 ने <u>प्रतिवादीगण/रेस्पो0</u> का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादीगण का वाद खारिज किया है जो विधिसम्मत्

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

आदेश है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, पीसांगन द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.9.2019 यथावत् रखा जाता है । तहसीलदार, पीसांगन वादग्रस्त आराजियात के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 3.9.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया ज्राकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर